न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2022/341
मुकदमा नम्बर 102/2022 दावा दर्ज दिनांक–11.07.2022

शीशराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी ढिगाल ,तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
–वादी

बनाम

1. रणवीर पुत्र बीरबल
2. चन्द्रकला पत्नी सुभाषचन्द
3. नेहा पुत्री सुभाषचन्द
4. निशा पुत्री सुभाषचन्द
5. विपिन पुत्र सुभाषचन्द
6. चेतराम पुत्र झाबर जाति जाट निवासी ढिगाल, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–प्रतिवादी

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती

वकील वादी : – श्री सुरेश कुमार सिंगड
वकील प्रतिवादी सं. 1 व 6 :– सहमति प्रा. पत्र जरिये वकील श्री महेश वर्मा

:: निर्णय :: **निर्णय दिनांक 20.01.2025**

वादी वादी इस कदर पेश किया गया कि, वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 स्व. बीरबल पुत्र जीवन जाट निवासी ढिगाल के वारिसान है जिनके राजस्व रिकार्ड व कब्जे काश्त की भूमि ग्राम ढिगाल के ख.नं. 1017/816 रकबा 1.80 है0 स्थित है, जिसके पूर्वी साईड में प्रतिवादी नं. 6 चेतराम के राजस्व रिकार्ड की भूमि खसरा नं. 1054/819 रकबा 1.00 है0 ग्राम ढिगाल स्थित है। दोनो जमीने सीवजोड है, जिनका नजरी नक्शा दावे के साथ पेश है।

प्रतिवादी सं. 6 चेतराम पुत्र झाबर है, झाबर के तीन पुत्र और जिनमे हरिराम, हेमसिंह, मामराज है, झाबर की पत्नी भूरी देवी की मृत्यु हो गई है।उक्त झाबर के चारो पुत्रो व भूरी देवी ने वादी के पिता बीरबल पुत्र जीवन के नाम दिनांक 02.12.1999 को विकय पत्र तस्दीक करवाया था, जिसमे वादी के पिता के नाम खसरा नं. 819 रकबा 4.05 है0 मे से 0.03 है0 भूमि विक्रय की थी तथा उसी वक्त कब्जा भी भौतिक रूप से संभला दिया था। परन्तु उक्त भूमि का रिकार्ड आज भी चेतराम के नाम है। इसलिये उक्त खसरा नं. 1054/819 रकबा 1.00 है0 मे पश्चिमी तरफ की 0.03 है0 भूमि नजरी नक्शे के मुताबिक ए से बी बिन्दु की जमीन का रिकार्ड वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 के नाम किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 6 के खाते मे दर्ज जमीन ख.नं. 1054/819 का रकबा 1.00 है0 के स्थान पर 0.97 है0 दर्ज किया जावे, ख.नं. 1054/819 का पश्चिमी तरफ का ए से बी हिस्सा वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगा. 5 के नाम दर्ज किया जावे, इसी प्रकार से घोषणा की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

वाद वादी पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई। प्रतिवादीगण उपस्थित जरिये वकील श्री महेश वर्मा उपस्थित हो एक सहमति पत्र/इकबालिया जवाब पेश कियां तथा मुताबिक वाद वादी स्वीकार व डिक्री किये जाने मे सहमति व्यक्त की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार एतराज नही किया गया है बल्कि वादी का वाद स्वीकार किये जाने मे सहमति व्यक्त की है। बहस पेश होने पर बगौर सुनी गई। वाद वादी आपसी सहमति का होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: आदेश ::

लिहाजा वाद वादी आपसी सहमति का, पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है । ग्राम ढिगाल के ख.नं. 1017/816 रकबा 1.80 है0 स्थित है, जिसके पूर्वी साईड में प्रतिवादी नं. 6 चेतराम के राजस्व रिकार्ड की भूमि खसरा नं. 1054/819 रकबा 1.00 है0 ग्राम ढिगाल स्थित है। दोनो जमीने सीवजोड है। इसलिये उक्त खसरा नं. 1054/819 रकबा 1.00 है0 मे पश्चिमी तरफ की 0.03 है0 भूमि का मुताबिक नजरी नक्शे ए से बी बिन्दु की जमीन का रिकार्ड वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 के नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 6 के खाते मे दर्ज जमीन ख.नं. 1054/819 का रकबा 1.00 है0 के स्थान पर कम किया जाकर 0.97 है0 दर्ज कर दिया जावे। इसी प्रकार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी घोषित की जाती है तथा तद्नुसार ही राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती तथा अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं। सुलभ संदर्भ हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व संलग्न नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग होगा। चूकी आदेश पक्षकारों की आपसी सहमति का इसलिये आदेश की पालना के लिये तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमींल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीसीएमएस नं. 2022/341

मुकदमा नम्बर 102/2022

दावा दर्ज दिनांक–11.07.2022

(शीशराम बनाम रणवीर वगै0)

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

वाद वादी आपसी सहमति का, पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है । ग्राम ढिगाल के ख.नं. 1017/816 रकबा 1.80 है0 स्थित है, जिसके पूर्वी साईड में प्रतिवादी नं. 6 चेतराम के राजस्व रिकार्ड की भूमि खसरा नं. 1054/819 रकबा 1.00 है0 ग्राम ढिगाल स्थित है। दोनो जमीने सीवजोड है। इसलिये उक्त खसरा नं. 1054/819 रकबा 1.00 है0 मे पश्चिमी तरफ की 0.03 है0 भूमि का मुताबिक नजरी नक्शे ए से बी बिन्दु की जमीन का रिकार्ड वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 के नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 6 के खाते मे दर्ज जमीन ख.नं. 1054/819 का रकबा 1.00 है0 के स्थान पर कम किया जाकर 0.97 है0 दर्ज कर दिया जावे। इसी प्रकार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी घोषित की जाती है तथा तद्नुसार ही राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती तथा अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं। सुलभ संदर्भ हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व संलग्न नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग होगा। चूकी आदेश पक्षकारों की आपसी सहमति का इसलिये आदेश की पालना के लिये तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। **जन............–............... मुबलिग............–............बाबत......–............खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–............ फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।**

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 20 माह 01 सन 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00